TRAI RECOMMENDATIONS TO SPUR GROWTH

TRAI has set itself on a path which could spell good tidings for the beleaguered DTH sector. TRAI has floated a recommendation to do away with the licence fee for DTH operators after the end of financial year 2026-27.

The rule requires DTH licensees to pay an annual licence fee equivalent to three per cent of adjusted gross revenue (AGR) which is to be brought down to zero fee in the next three years.

"DTH licensees should not be charged any licence fee after the end of the financial year 2026-27. The licensee should submit an initial bank guarantee from any scheduled bank to the Ministry of Broadcasting (MIB) for ?5 crore for the first two quarters. Thereafter, the licensee should submit a bank guarantee (BG) from any scheduled bank to the MIB for an amount equivalent to the Initial BG (i.e., Rs. 5 crore) or 20 per cent of the estimated sum payable, equivalent to License Fee for two quarters and other dues not otherwise securitized, whichever is higher," TRAI said.

TRAI
सत्यमेव जयते
Telecom Regulatory Authority of India

In another directive TRAI has also issued an order to all distribution platform operators (DPOs) that in case a new CAS/SMS is to be deployed on or after 01st March 2024, then they should only deploy such CAS and SMS systems that are tested by a testing lab accredited by TEC and certified by TEC or any other agency as designated by the authority.

Further, the DPOs have been told to get their existing CAS and SMS upgraded to such CAS and SMS that are duly tested and certified by TEC to meet the requirements specified under Schedule IX of the Interconnection Regulations, 2017, on or before 1st March 2025.

The certification process would enable the standardisation of CAS and SMS in the systems deployed by Distribution Platform Operators, which would enable access to only subscribed television channels to the subscribers and thereby ensuring a check on piracy. Also, the broadcasters will get their fair share of revenues, the regulatory body has said. ■

विकास को गति देने के लिए ट्राई की सिफारिशें

ट्राई ने खुद को एक ऐसे रास्ते पर स्थापित कर लिया है कि जो संकटग्रस्त डीटीएच क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। ट्राई ने वित्तीय वर्ष **2026–27** की समाप्ति के बाद डीटीएच ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस शुल्क खत्म करने की सिफारिश की है।

नियम के अनुसार डीटीएच लाइसेंसधारियों को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के तीन प्रतिशत के बराबर वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसे अगले तीन वर्षों में शून्य शुल्क पर लाया जाना है।

ट्राई ने बताया, 'डीटीएच लाइसेंसधारियों को वित्तीयवर्ष **2026–27** की समाप्ति के बाद कोई लाइसेंस शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। लाइसेंसधारी को किसी भी अनुसूचित बैंक से पहली दो तिमाहियों के लिए **5** करोड़ रु. की प्रारंभिक बैंक गारंटी प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) को जमा करनी होगी। इसके बाद लाइसेंसधारी को किसी भी अनुसूचित बैंक से प्रारंभिक बीजी (यानी **5**करोड़ रु) के बराबर राशि या देय अनुमानित राशि का **20** प्रतिशत, दो तिमाहियों और अन्य बकाया राशि, जो अन्यथा प्रतिभूतिकृत नहीं है, जो भी अधिक हो, के लिए लाइसेंस शुल्क के बराबर राशि के लिए एमआईबी को बैंक गारंटी (बीजी)जमा करनी होगी।'

एक अन्य निर्देश में ट्राई ने सभी वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) को एक आदेश भी जारी किया है कि यदि वे **01** मार्च **2024** को या उसके बाद एक नया सीएएस/एसएमएस तैनात किया जाना है तो उन्हें केवल ऐसे सीएएस और एसएमएस सिस्टम तैनात करने चाहिए जो टीईसी द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा परीक्षण किया गया हो और टीईसी या प्राधिकरण द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रमाणित हों। इसके अलावा डीपीओ से कहा गया है कि वे अपने मौजूदा सीएएस और एसएमएस को ऐसे सीएएस और एसएमएस में अपग्रेड करवा लें जो **1** मार्च **2025** को या उससे पहले इंटरकनेक्शन विनियम, **2017** की अनुसूची **9** के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए टीईसी द्वारा विधिवत परीक्षण और प्रमाणित हो।

नियामक निकाय ने कहा, 'प्रमाणन प्रक्रिया वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों द्वारा तैनात प्रणालियों में सीएएस और एसएमएस के मानकीकरण को सक्षम करेगी, जो ग्राहकों को केवल सब्सक्राइब किये टेलीविजन चैनलों तक पहुंच प्रदान करेगी और इस तरह चोरी पर रोक सुनिश्चित करेगी। साथ ही, प्रसारकों को राजस्व का उचित हिस्सा मिलेगा।' ■